"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 118] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च 2023 —— चैत्र 10, शक 1945

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 मार्च 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4–7 / सात–1 / 2022.— छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप–धारा (1) सहपठित धारा 158 की उप–धारा (4) व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्व्दारा, छत्तीसगढ़ नगरेत्तर क्षेत्रों में शासकीय पट्टे पर आबंटित कृषि भूमि के भूमिस्वामी अधिकार नियम, 2023 बनाती है, अर्थात :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**–(1) ये नियम छत्तीसगढ़ नगरेत्तर क्षेत्रों में शासकीय पट्टे पर आबंटित कृषि भूमि के भूमिस्वामी अधिकार नियम, 2023 कहलायेंगे।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (1) "संहिता" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र.20 सन् 1959)य

   (2) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूपय

   (3) "धारा" से अभिप्रेत है, संहिता की धारा।

3. **प्रयोज्यता**–(1) यह नगरेत्तर क्षेत्रों में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–4 क्रमांक–3 के तहत कृषि प्रयोजनार्थ आबंटित पट्टे की भूमि को लागू होगा।

   (2) शासकीय पट्टों में, कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित पुनर्वास के पट्टे एवं सिंहदेव योजना के पट्टे भी शामिल होंगे।

   (3) उक्त पट्टों में, छत्तीसगढ़ कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 (क्र. 20 सन् 1960) के तहत अतिशेष घोषित भूमि, भू–दान यज्ञ एवं दान में प्राप्त भूमि शामिल नहीं होंगी।

   (4) वन अधिकार के अधीन आबंटित पट्टे की भूमि शामिल नहीं होंगी।

4. **प्रकिया**– (1) शासकीय पट्टेदार या विधिक वारिसान व्दारा, प्ररूप–अ में भूमिस्वामी अधिकार हेतु आवेदन, उसमें उल्लेखित दस्तावेजों एवं प्ररूप–ब में शपथ पत्र के साथ, कलेक्टर को दिया जाएगा।

(2) भूमिस्वामी के रूप में भू–अभिलेखों को अद्यतन किए जाने के पूर्व, पट्टों की वैद्यता का समुचित रीति में परीक्षण, कलेक्टर व्दारा आवश्यक रूप से किया जाएगा।

(3) पट्टा के सत्यापन के दौरान पात्रता, प्रक्रिया एवं अवधि का परीक्षण (मूल्यांकन) सुनिश्चित किया जायेगा तथा त्रुटिपूर्ण जारी पट्टों को नियमानुसार अकृत एवं शून्य घोषित किया जाएगा।

(4) समुचित जांच के पश्चात् पात्र पाए जाने पर, आवेदक को प्ररूप–स में भूमिस्वामी अधिकार प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(5) आवेदन की प्राप्ति के 06 मास के भीतर, अंतिम निर्णय पारित किया जाएगा।

5. **प्रभाव**– (1) प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर, भूमिस्वामी के रूप में, संहिता व्दारा प्रदत्त समस्त अधिकार एवं दायित्व अधिरोपित माने जाएंगे।

(2) संहिता की धारा 114–क के अनुसार भूमिस्वामी को, किसान–किताब का अधिकार होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त सचिव.

प्ररूप—अ

(नियम 4 (1) देखिए)

भूमिस्वामी अधिकार के लिए आवेदन

प्रति,

कलेक्टर,

जिला..................................छत्तीसगढ।

विषयः— शासकीय पट्टे की कृषि भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने हेतु आवेदन।

————

ग्राम.................... प.ह.नं. .... तहसील................. जिला....... में स्थित मेरे हक एवं आधिपत्य की भूमि खसरा नंबर .... रकबा...............एकड़/ हेक्टेयर भूमि, राजस्व न्यायालय... के राजस्व प्रकरण कमांक........................... आदेश दिनांक.............................. (छत्तीसगढ़) व्दारा शासकीय पट्टे के अंतर्गत कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित किया गया था।

आबंटन पश्चात् 20 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है। अतः, छत्तीसगढ़ नगरेत्तर क्षेत्रों में शासकीय पट्टे पर आबंटित कृषि भूमि के भूमिस्वामी अधिकार नियम, 2023 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त भूमि का भूमिस्वामी अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु मैं आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं।

संलग्नः— (1) शासकीय पट्टे की प्रति

(2) किसान—किताब, यदि हो, की प्रति

(3) बी—1, खसरा एवं नक्शा की प्रति

(4) जाति प्रमाण—पत्र की प्रति

(5) प्ररूप—ब में शपथपत्र।

दिनांक............

स्थान............ (आवेदक का हस्ताक्षर)

पूरा नाम............................

पावती

श्री/सुश्री/श्रीमती.......................... पिता/पति .... निवासी..............तहसील .... जिला .... से दिनांक..........................को आवेदन पत्र प्राप्त किया गया।

(कार्यालय की सील) (प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

प्ररूप–ब

(नियम 4(1) देखिए)

शपथपत्र

मैं, श्री / सुश्री / श्रीमती .... पिता / पति ....निवासी ....
तहसील .... जिला ....(छत्तीसगढ़), एतद्व्दारा, शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि,

आवेदन में दी गई जानकारी, मेरे विश्वास और सर्वोत्तम ज्ञान के आधार पर सही एवं पूर्ण है;

आवेदन में उल्लेखित भूमि, कृषि प्रयोजन के लिए आबंटित की गई थी एवं इसे अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित नहीं की गई है;

भूमि, निर्विवादरूप से मेरे कब्जे में है एवं उस पर अधिकार एवं कब्जे के संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्यवाही प्रचलित नहीं है;

तथा, मेरे आवेदन स्वीकृत होने पर, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र.20 सन् 1959) व्दारा अधिरोपित उत्तरदायित्वों का मैं वहन करूंगा।

स्थान. ....
दिनांक. ....

(आवेदक का हस्ताक्षर)

प्ररूप—स

(नियम 4 (4) देखिए)

भूमिस्वामी अधिकार प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती .... पिता/पति .... निवासी ....तहसील .... जिला ....(छत्तीसगढ़) को ग्राम .... प.ह.नं. .... में स्थित खसरा नंबर ....रकबा...................... की कृषि भूमि को राजस्व प्रकरण क. .... आदेश दिनांक .... व्दारा शासकीय पट्टे पर आबंटित किया गया था। आबंटन पश्चात् 20 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है। अतएव, उक्त शासकीय पट्टेदार/ उनके विधिक वारिसान श्री/सुश्री/श्रीमती .... पिता/पति .... निवासी .... तहसील .... जिला .... (छत्तीसगढ़) उपरोक्त उल्लिखित भूमि के संबंध में, छत्तीसगढ़ भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन्1959) की धारा 158 की उप—धारा (4) के अंतर्गत भूमिस्वामी समझा जाएगा और संहिता द्वारा प्रदत्त समस्त अधिकारों एवं दायित्वों के अध्यधीन होगा।

तारीख.....................
मुहर......................

कलेक्टर
जिला........................
छत्तीसगढ.

Atal Nagar, the 29th March 2023

NOTIFICATION

No. F 4-7/2022/Seven-1.— In exercise of the power conferred by the sub-section (1) of Section 258 read with the sub-section (4) of Section 158 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, makes the Bhumiswami Rights of the Agriculture Land Allotted on Government Lease in Non-Urban Area Rules, 2023, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement-** (1) These rules shall be called the Bhumiswami Rights of the Agriculture Land Allotted on Government Lease in Non-Urban Area Rules, 2023.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(1) "Code" means the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);

(2) "Form" means the forms annexed with these rules.

(3) "Section" means the Section of the Code.

3. **Applicability-** (1) It shall to apply to the land of allotted lease for agricultural purpose in non-urban areas, under the Revenue Book Circular Khand 4 Kramank 3.

(2) The lease under Rehabilitation and the lease under the Singhdev Scheme, allotted for agricultural purpose, shall be included in the Government leases.

(3) The land declared surplus under the Chhattisgarh Ceiling on Agricultural Holding Act,1960 (No.20 of 1960), and the land received in Bhudan-Yagya and Donation, shall not be included in the said leases.

(4) The land of lease allotted under the Forest Right shall not be included.

4. **Process-** (1) The application, in Form-A, along with the documents mention therein and the Affidavit, in Form-B, for Bhumiswami Rights shall be given to the Collector by the Government Lessee or the legal heirs.

(2) Before updating the land records as Bhumiswami, the validity of the lease shall be necessarily inquired in appropriate manner by the Collector.

(3) The evaluation of the eligibility, the process and the period shall be ensured during the verification of the leases, and the leases issued wrongly shall be declared null and void as per the rules.

(4) The Bhumiswami Rights Certificate, in Form-C, shall be issued to the applicant on finding eligible after the appropriate enquiry.

(5) The final decision shall be passed within 06 months from the receipt of the application.

5. **Effect-** (1) All the rights and responsibilities conferred by the Code as Bhumiswami shall be deemed to imposed upon the person receiving the Certificate.

(2) The Bhumiswami shall have right of Kisan Kitab as per the Section 114-A of the Code.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
HEENA ANIMESH NETAM, Joint Secretary.

FORM- A

(See rule 4(1))

APPLICATION FOR BHUMISWAMI RIGHTS

To,

Collector,

District………………………….. Chhattisgarh.

Subject- Application for grant of Bhumiswami right to the agriculture land of the Government lease.

The Land Khasra No……………… ……….. Area…………………….Acre/Hectare, under my rights and possession situated in Village ……………………….. Patwari Halka No. ………. Tahsil ………………… District ………………………. (Chhattisgarh) was allotted for agricultural purpose under the Government lease by order dated ……….. in Revenue Case number ………….. of the Revenue Court ………………

The period of 20 years after allotment has been completed. Therefore, I apply for granting me Bhumiswami Rights Certificate for abovementioned land under the provisions of the Bhumiswami Rights of the Agricultural Land allotted on Government Lease in Non-urban Area Rules, 2023.

Enclosed-

1. Copy of the Government Lease,
2. Copy of the Kisan-Kitab, if any,
3. Copy of the B1, Khasra and Map,
4. Copy of the Caste Certificate,
5. Affidavit in Form- B.

Place …………………

Date ………………….

(Signature of the Applicant)

Full Name …………………

RECEIPT

Received the application from Mr/Ms/Mrs …………….son/daughter/wife of ………........……… resident of …....……… Tahsil ……......…… District……...…… on ………….. (date).

(Seal of the Office) (Signature of the Receiver)

FORM- B

(See rule 4(1))

AFFIDAVIT

I, Mr/Ms/ Mrs…………….……………….……………….………………son/daughter/wife of ………………………………………………. resident of ……………..……… Tahsil ………………...…… District …………………… (Chhattisgarh), do hereby, solemnly declare that,

the information given in the Application is correct and complete to the best of my belief and knowledge;

the land mentioned in the application was allotted for agricultural purpose and has not been diverted for any other purpose;

the land is under my possession without any dispute and no court proceeding is there regarding the right and possession over it;

and, I shall bear the responsibilities imposed by the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), on acceptance of my application.

Place …………………
Dated ………………….

(Signature of the Applicant)

FORM- C
(See rule 4 (4))

BHUMISWAMI RIGHTS CERTIFICATE

It is to certify that Mr/Ms/ Mrs ……………………………………Son/Daughter/Wife of …………………………………………… resident of ………….. ……… Tahsil …………………… District ………………… (Chhattisgarh) was allotted the agricultural land Khasra No……………… Area……………………. in Village ……………………….. Patwari Halka No. ………. under Government lease by the Order dated………….. ……….. in Revenue Case No. …………….. ……… The period of 20 years after allotment has been completed. Hence, he/she / his/her legal heir Mr/Ms/ Mrs …………………………………………… Son/Daughter/Wife of …………………………………………… resident of ………………………… Tahsil …………………… District ………………… (Chhattisgarh) shall be deemed to be Bhumiswami, for the above mentioned land, under the sub-section (4) of the Section 158 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and shall be under all the rights and responsibilities conferred by the Code.

Dated……………… Collector

Seal……………… District……………………………
Chhattisgarh.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.